प्रति,

संचालक, प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार
द्वारा जोनल ऑफिस, द्वितीय तल, पुजारी
कॉम्प्लेक्स, पचपेड़ी नाका, रायपुर (छ.ग.)-492001

विषय: दिनांक 02.11.2023 को शुभम सोनी उर्फ पिंटू एवं उसके साथीयो द्वारा षड़यंत्र कर मुझे झूठा फसाये जाने की जांच बाबत।

महोदय,

मैं, असीम दास, पिता - श्री सुशील दास निवासी - मकान नं. 15/17 इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई जिला - दुर्ग (छ.ग.)। मुझे दिनांक ~~[illegible]~~ 03-11-2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपराध क्रमांक ECIR/RRZO/10/2022 मे संदेह के आधार पर हिरासत मे लीया गया और उसके बाद माननीय न्यायाधीश (पी.एम.एल.ए) रायपुर (छ.ग.) के आदेशानुसार ईडी को रिमांड पर सौंपा गया।

ईडी कार्यालय मे मुझे समाचार पत्र पढ़ने नही दीया जाता था परन्तु जेल मे आने के बाद जब मैंने अखबारो मे मेरी हीरासत से सम्बंधित खबर पढ़ी तो मैं स्तब्ध व हैरान हो गया मैं शुभम सोनी उर्फ पिंटु भईया से दुबई मे मीला और उनहोने मुझसे छत्तीसगढ़ मे कंस्ट्रक्शन संबन्धीत कारोबार मे मदद का वायदा कर मुझे छत्तीसगढ़ वापीस भेजा जीसके बाद

Asim Das

rps

मे उनसे मुलाकात कर उनके कहे अनुसार छत्तीसगढ़ मे कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय खोलने के उद्देश्य से आया था परन्तु अखबारो मे अलग ही बात लिखी रहि है की मेरे पास से जब्त की गयी नगद राशी को मै छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को देने आया था जो की पूर्णतः असत्य है मुझे यह ज्ञात होने पर की मुझे एक बहुत बड़े षड़यंत्र का शिकार बनाया गया है, मैने रेड़ी दफ्तर से न्यायालय जाते समय अपने वकील साहब के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड आवेदन पर लिखित आपत्ती दर्ज करते हुए मेरे साथ घटित घटना का विस्तृत विवरण पेश किया है।

मुझे यह अक्टूबर 2023 के पहले हफ्ते मे शुभम सोनी द्वारा फोन कर दुबई बुलाया गया था उसने मुझसे लुभावनी बात की और क्योंकि मै बचपन मे उनके साथ क्रिकेट खेलता था और जानता पहचानता था इस लिए मैने उनकी बात मान ली दिनांक 08.10.2023 को मै दुबई पहुँचा शुभम सोनी के साथ काम करने वाले लोगो ने मुझे करीब दो सप्ताह दिन तक अपने साथ रख कर दुबई घुमाया और फिर मुझे शुभम सोनी से बिना मिलवाये ही भारत भेज दिया गया वहा की चकाचौंध देख कर

शुभम सोनी

rps

देखकर मैं प्रभावित हो गया, पुनः शुभम सोनी ने
विकास मेश्रमकर मुझे मुंबई बुलाया तो मैं दिनांक
25.10.2023 को मुंबई पहुंचा जहाँ दो-तीन दिन
बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई।
शुभम सोनी ने मुझे छत्तीसगढ़ मे कंस्ट्रक्शन का
काम चालु करने की इच्छा जाहिर की और कहा
की चूंकि मुझे काफी लम्बे से जानता हु इसलिए
तुम मेरे लिए काम चालु करो पैसे वगैरह का
बंदोबस्त मैं देख लूंगा मैं यह भी बताना चाहता
हु की मुझे शुभम भैया ने यह भी कहा की
किसी से डरने की जरूरत नही है इस पर मैंने
उनसे सवाल किया की आखिर डरने वाली बात ही
क्या है तो शुभम भैया ने जवाब देते हुए कहा
की अरे यार तू जानता नही है बड़ा काम करो
बड़ा पैसा सम्भालो तो लोग जलते है
शुभम भैया मुझे यह भी भरोसा दिलाया की तू
चिंता मत कर मेरे समय मे तुझे भी ऐसा मुकाम
लोगे यह सुन कर मुझे अजीब लगा तो मैंने उनसे
पूछा की आप मुंबई मे नही रहने वाले हो क्या?
तब शुभम भैया ने मुझसे कहा की यात्रा का काम
अब खत्म हो चुका है और यह भी बताया की
उनका 05 नवंबर की फ्लाईट की टिकट होगई
है

rps

और अब वह संभवतः एम्स्टर्डम या लंदन में जा कर ही रहेंगे। आज खुद मनगढ़ंत आरोपों में फंस जाने के बाद मुझे अब यह समझ आया है की शुभम सोनी दुबई छोड़ कर जाने की बात क्यों कर रहा था।
मुझे यकीनन इस षड़यंत्र में फसाया गया है क्यों की मैंने जब शुभम सोनी से यह पूछा की महादेव एप के सम्बन्ध मे काफी जांच पड़ताल हो रही है तो क्या हमे किसी भी प्रकार की दिक्कत नही होगी इसके उत्तर में शुभम सोनी ने मुझसे यह कहा की सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो महादेव एप के प्रमुख संचालक एवं मालिक है उनका पहले से ही इंडिया के कोई अधिकारी भिलाई से सेटिंग हो गई है जिसके चलते उनमे से किसी को भी पकड़ने या उन पर कोई कार्यवाही किए जाने की सम्भावना का प्रश्न खड़ा नही होता है।
शुभम सोनी से मेरी मुलाकात के उपरांत उनके सहयोगीयो ने मेरा सैमसंग का मोबाईल फोन लेकर एक एप्पल कंपनी की आई फोन दिया जिसमे मेरा ही सीम काम कर रहा था। मुझे मेरे सैमसंग का फोन वापस नही दिया गया। इसी फोन के माध्यम से मेरा शुभम सोनी से फेसटाइम नामक एप और कुछ और एप जो शुभम सोनी ने आई फोन मे डाला था से मे संपर्क हुआ है। शुभम के साथ काम करने वालो ने मुझे यह भी बताया की

rps

रायपुर पहुँच कर मुझे एक काले रंग की ओवा
गाड़ी जिसका जीपका नंबर सी.जी. 12 ए आर 6300
एयरपोर्ट की पार्किंग मे मिलेगी जिसे लेकर मुझे
बीआईपी रोड स्थित होटल ट्राइटन जाना है
जहाँ मेरे नाम से एक कमरा बुक है
दिनाँक 02.11.2023 को मैं रायपुर एयरपोर्ट पहुचा जहा
मुझे बताये अनुसार पार्किंग मे गाड़ी मिली जिसमे मे
होटल ट्राइटन पहुँच गया होटल पहुँचते ही मुझे
फोन पर गाड़ी को बाहर खड़ा करने को कहा गया
जिसके उपरांत मैं होटल मे रूम नं. 311 मे गया
रूम मे जाने के बाद मुझे दो-सवा दो बजे फोन
आया और मुझे मेन रोड में आने को कहा गया
वहाँ एक व्यक्ति मुझे काले रंग की बाईक मे
मिला और एक कार्बन कंपनी का मोबाईल
फोन दिया और मुझसे यह कहा की अब इस
फोन से ही बात करना और गाड़ी मे ही
इंतजार करना है। मुझे आधे पौन घंटे के
बाद फोन आया और यह दुरभाष की मुझे गाड़ी
का दरवाजा खोलने खोलने को कहा गया कुछ
समय बाद ही एक व्यक्ति ने मेरी गाड़ी के पिछे
की सीट मे दो बैग रखा दिए जिसमे से कुछ
नोट के बंडल गिरने पर मैं हतप्रभ गया और

rps

और मैंने उसे हैंड रेस्ट मे रख दीया।
मुझे यह भी निर्देशित कीया गया की कुछ और बैग आ रहे हैं जिनका मैं इंतजार करूं। उसी वक्त मैंने अपना आई फोन ओन कर देखा जीसमे पहले से ही कुछ चार्ज लोड थी और शुभम सोनी का एक वीडियो भी था। मैं यह सब देख कर घबरा गया और मुझे अंदेशा हुआ की मुझे फसाया जा रहा है। कुछ देर बाद ही एक व्यक्ति जीसने मेरी गाड़ी मे तीन और बैग रख दिए और मेरे सिम को कंपनी के मोबाईल में लगा दिया। मुझे फिर फोन आया की मैं गाड़ी को होटल की पार्किंग मे खड़ा कर अपने रूम मे चला जाऊं।
कमरे मे पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और एक धी टीशर्ट पहना हुआ अनजान व्यक्ति प्रकट होता है जो अपना नाम हंडी लाल मीना और अपने आप को ईडी का अधिकारी होना बताया। हंडी लाल मीना ने मुझसे कहा, "हाँ बेटा! सारा सामान रख लिया?" उसकी बातो से यह लगा मानो उसे सब कुछ पता हो। हंडी लाल मीना ने मुझसे कहा की ज्यादा कुछ करने की जरूरत नही है, तुम्हारा बयान तैयार है, मेरे साथ आओ। ईडी का उक्त अधिकारी मुझे नीचे पार्किंग में मेरी गाड़ी के पास लेकर गया जहाँ पहले से ही ईडी के 02 अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Ashish Meena

rps

मेरे द्वारा ईडी के उक्त अधिकारी से मेरे हिरासत मे लिए का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा की ~~[illegible]~~ कोसी या कोसी को गिरफ्तार करना था बिना सोचे समझे किसी से इतनी नगद रकम नहि लेनी थी। ईडी के तथाकथित अधिकारीयो द्वारा मुझे पढ़ने से अंग्रेजी भाषा मे टाइप किये हुए कागजों पर जबरन दस्तखत करवाया गया मैं अंग्रेजी भाषा ना ही पढ़ना और लिखना जानता हुँ परन्तु दर और दबाव में मैंने उन पर हस्ताक्षर कर दिए मेरे द्वारा कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता या कार्यकर्ता को पैसे या किसी अन्य प्रकार का सहयोग लाभ नहि पहुंचाया गया है मुझे बताया गया है की समाचार पत्रो मे मुझे कुशीयर बॉय के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है पर यह मेरा काम कभी रहा ही नही है।

महोदय, मुझे अब यह ज्ञात हो रहा है की मुझे बेवजह कोल की बकरा बना कर अन्यान्य आरोपो मे फसाया जा रहा है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नही है मै पुनः यह स्पष्ट कर देना चाहता हुँ की मैंने ना ही कभी बघेल, किसी वर्मा या किसी अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता को किसी भी तरह से पैसे या किसी अन्य प्रकार का सहयोग नही पहुंचाया गया है

rps

मुझे बताया गया है कि समाचार पत्रों मे मुझे क्वीयर ऑथ के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है पर यह मेरा काम कभी रहा ही नहीं है। मैंने इस संबंध मे एक आवेदन माननीय न्यायालय में भी लगाया है उस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही की जावे

उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे मेरा माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि:

1) मेरे द्वारा इस्तेमाल किये गए सिम जो की ईडी द्वारा जब्त किया गया है सी डी आर मंगवा कर जांच की जावे

2) काले रंग की कार मे आये व्यक्ति द्वारा सीधे वाले व्यक्ति जो की बीना कोसी हेलमेट एवं मास्क के आया था की पहचान कर उससे पूछताछ कर कार्यवाही की जावे

3) होटल ट्राइडन एवं उसके आस पास लगाई गई कैमरा की फुटेज कर मुझ तक नोटो का बैग पहुंचाने वाली गाड़ी की मालिकाना हक की जांच कर पूछ ताछ की जाए

4) मेरी गिरफ्तारी दौरान मौजूद समस्त ईडी अधिकारी के विरुद्ध धन का अंजाम हेतु जांच की गई

rps

5) शुभम मैथा का एक वीडीयो है जो मुझे मीडीया के माध्यम से पता चला है जीस मे अढोने 500 करोड़ रु. वाहिल को देने की बात कहि है। इस वीडीयो के संबंध मे जाच कीया जाए की यह विडीयो कहा से आया, अगर यह मील जाएगा तो शुभम भईया भी मिल ~~जाएंगे~~ जाएंगे तभी उन से पुछ ताछ कि जा सके और उनहे पकड़ा जाए मै निर्दोश हु मुझे छोड़ा जाए।

6) दिनांक 05.11.2023 को मुंबई से एम्स्टर्डम व लंदन जाने वाले समस्त फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट उपलब्ध कर शुभम सोनी की आज की ~~स्थ~~ स्थिति के बारे मे पता कर शुभम सोनी, सौरभ चंद्राकर, रवी उप्पल ~~को~~ भेजा जाए। पकड़ा जाए उनसे पुछ ~~ताछ~~ कीया जाए और गीरफतार कीया जाए। अरेश्ट कीया जाए तभी हम लोगो को न्याय मिल सकता है।

Ashim Das
17-11-2023

प्रतिलिपि:

1) माननीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटेरियट, नई दिल्ली -110011

आवेदक

आशीष दास
पिता - श्री सुशील दास
निवासी - मकान नं. 15/17
इंडस्ट्रियल एरिया निर्माण
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

2) माननीय मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110011

rps

3) माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर कंपाउंड बोदरी, बिलासपुर (छ.ग.) - 495220

4) श्रीमान अजय सिंह राजपूत विशेष न्यायाधीश (पी० एम० एल० ए०) रायपुर जिला-कोर्ट रायपुर (छ०ग०)

Ajay Singh
(अजय सिंह)
17-11-2023